कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला बलरामपुर-रा०गंज (छ०ग०)

-:आदेश:-

बलरामपुर, दिनांक 19/03/2019

क्रमांक/ 01 /अ.भू.अ./स्था./2018 :::::: कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1281/अ.भू.अ./स्था०/2017 बलरामपुर, दिनांक 26/12/2017 द्वारा भू-अभिलेख नियमावली भाग-1 नियम 4 के प्रावधानानुसार निम्नवर्णित सारणी की कण्डिका 2 में अंकित प्रशिक्षु हल्का पटवारियो को छः माह के लिए अस्थायी रूप से कण्डिका 5 में वर्णित तहसीलों में नियुक्त किया गया था। कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख छ०ग० इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक-02 नया रायपुर का पत्र क्रमांक/2705/आ.भू.अ./प्रशिक्षण/2018 नया रायपुर दिनांक 19/07/2018 एव पत्र क्रमांक/3814/आभूअ/प्रशिक्षण/2018 अटल नगर रायपुर दिनांक 05.10.2018 के द्वारा पटवारी विभागीय परीक्षा माह मई 2018 व पूरक परीक्षा माह सितम्बर 2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप छ०ग० भू-अभिलेख नियमावली भाग-1 एवं छ०ग० भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2014 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एवं पूर्व आदेश की शर्तों के अधीन कण्डिका 2 मे अंकित प्रशिक्षु पटवारियों का पटवारी पद पर वेतनमान 5200-20200+2400 (सातवा वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-06) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर कॉलम नम्बर-5 में अंकित तहसीलों में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्र0	अभ्यर्थियों का नाम	पिता/पति का नाम	गृह तहसील का नाम	पदस्थापना तहसील का नाम	अनुभाग का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विश्व दीपक तिग्गा	श्री जेम्स तिग्गा	कुसमी	रामानुजगंज	रामानुजगंज
2.	श्रीमती रजनी सरोज खलखो	श्री जोन खलखो	शंकरगढ़	रामानुजगंज	— —
3.	श्री आशुतोष टोप्पो	श्री कुंवरसाय टोप्पो	कुसमी	रामानुजगंज	— —
4.	श्री पंकज कुमार कच्छप	श्री राजमणी राम	कुसमी	रामानुजगंज	— —
5.	श्री देवकुमार	श्री रामजन्म	बलरामपुर	रामानुजगंज	— —
6.	श्री गौरी शंकर	श्री अग्नि राम	शंकरगढ़	रामानुजगंज	— —
7.	श्री राजकपूर कुशवाहा	श्री अघुनाथ	वाड्रफनगर	रामानुजगंज	— —
8.	श्वेता भगत	श्री लालसाय भगत	राजपुर	रामानुजगंज	— —
9.	श्री श्रवण कुमार	श्री रामऔतार साव	रामानुजगंज	बलरामपुर	— —
10.	रेणु पन्ना	श्री राजेश्वर राम	कुसमी	बलरामपुर	— —
11.	श्री. संजय कुमार सोनी	श्री नीलम प्रसाद	रामानुजगंज	बलरामपुर	— —
12.	श्री शुभम बघेल	श्री संजीत बघेल	बलरामपुर	वाड्रफनगर	वाड्रफनगर
13.	श्री उमाशंकर	श्री दशरथ प्रसाद	रामानुजगंज	वाड्रफनगर	— —
14.	श्री निर्मल राम	श्री बसंत राम	कुसमी	वाड्रफनगर	— —
15.	अर्चना अग्रवाल	श्री निरंजन प्रसाद	वाड्रफनगर	वाड्रफनगर	— —
16.	श्री संदीप कुमार भगत	श्री लालसाय भगत	राजपुर	कुसमी	कुसमी
17.	पुनित सुरसिंज लकड़ा	श्री सुखलाल लकड़ा	राजपुर	कुसमी	
18.	श्रीमती चारूलता हरिवंशी	सुखलाल राम	शंकरगढ़	कुसमी	
19.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार गुप्ता	श्री रामधारी प्रसाद	राजपुर	शंकरगढ़	
20.	श्रीमती रामदुलारी	श्री गनराज राम	राजपुर	शंकरगढ़	
21.	श्री मिथिलेश नेताम	श्री रामभरोसा सिंह	राजपुर	शंकरगढ़	

Government College
AISHE Code C-50270
Distt.-Balrampur (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सनावल
जिला - बलरामपुर (छ.ग.)

22.	श्री अनुप कुमार टोप्पो	श्री रमेश राम	कुसमी	शंकरगढ	--"--
23.	श्री पुरन्दर प्रसाद यादव	श्री नवगोपाल यादव	कुसमी	राजपुर	राजपुर
24.	श्री आशीष कुमार कुजूर	श्री जगुना प्रसाद	कुसमी	राजपुर	--"--
25.	श्री सन्नू साय	श्री इंदरसाय	कुसमी	राजपुर	--"--
26.	चित्रावती पैकरा	श्री जवाहर राम पैकरा	कुसमी	राजपुर	--"--
27.	गौरी दास	स्व. जंगबहादुर	राजपुर	राजपुर	--"--
28.	श्री अमरजीत भगत	श्री सोमनाथ भगत	कुसमी	राजपुर	--"--

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
बलरामपुर–रामानुजगंज

पृ.क्रमांक / 02 / अ.भू.अ. / स्था. / 2018 बलरामपुर, दिनांक 19 / 02 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, भू–अभिलेख छ0ग0 इन्द्रावती भवन, प्रथम तल, ब्लॉक–02, अटल नगर रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी(रा.), ...जिला बलरामपुर–रामानुजगंज छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. तहसीलदार ....जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सर्व संबंधित संजय कुमार सोनी.......... को सूचनार्थ ।

अपर कलेक्टर
बलरामपुर–रामानुजगंज

....

KGO
पूर्व में कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है। नवीन कार्यभार ग्रहण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
S. Gupta
Tahsildar Balrampur
SLR District Balrampur
25.02.2019

Government College Sanawal
AISHE Code C-50270
Distt.-Balrampur (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सनावल
जिला – बलरामपुर (छ.ग.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर—रामानुजगंज
जिला बलरामपुर—रामानुजगंज (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक/1777/स्था0–2/अनु0नियु0/2018 रामानुजगंज,दिनांक 01/06/2018

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र कमांक एफ 7–2/2012/1–3 दिनांक 14.06.2013 के निर्देशों के अनुपालन में मो0 असगर आ0 स्व0 एफ0 रहमान, निवासी ग्राम–सनावल, विकासखंड–रामचन्द्रपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज को सहायक ग्रेड–03 के पद पर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 1900 तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मँहगाई भत्ते पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाकर शासकीय हाईस्कूल सिलाजू, विकासखंड–रामचन्द्रपुर में अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है।

संबंधित को 02 वर्ष के भीतर कम्प्यूटर में 5000 की–डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति से हिन्दी टाईपिंग कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। परीक्षा उत्तीर्ण करने तक वेतनमान का न्यूनतम् वेतन देय होगा।

1.6.18

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज
छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक/1778/स्था0–2/अनु0नियु0/.2018 रामानुजगंज,दिनांक 01/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. संचालक,लोक शिक्षण संचालनालय,छ.ग.रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर,जिला बलरामपुर–रामानुजगंज की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय बलरामपुर।
4. विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामचन्द्रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. प्राचार्य, शास0हाईस्कूल सिलाजू, वि.ख.–रामचन्द्रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. आवेदक मो0 असगर आ0 स्व0 एफ0 रहमान, निवासी ग्राम–सनावल, विकासखंड–रामचन्द्रपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 15/06/18 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण–पत्र, योग्यता प्रमाण–पत्र एवं जन्मतिथि संबंधी प्रमाण–पत्र कार्यभार प्रतिवेदन के साथ संबंधित संस्था प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यह नियुक्ति आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों के आधार पर दिया गया है, तथा भविष्य में प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र/जानकारी असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
7. जिला रोजगार अधिकारी बलरामपुर–रामानुजगंज की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यालयीन मुख्य लिपिक को सूचनार्थ।

1.6.18

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज
छत्तीसगढ़

Government College Sanawal
AISHE Code C-50270
Distt. Balrampur (C.G.)

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सनावल
जिला – बलरामपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय रामचन्द्रपुर

जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

क्रमांक 30 / स्था / अतिथि व्या0 / 2018 रामचन्द्रपुर, दिनांक 13 / 08 / 2018

प्रति

श्री अर्जुन प्रसाद
ग्राम – त्रिशूली
जिला – बलरामपुर (छग)

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रण।

–––000–––

महाविद्यालय मे अतिथि व्याख्याताओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं चयन समिति की अनुशंसा पर आपका **प्राणीशास्त्र** विषय मे निम्न शर्तों के अनुसार अतिथि व्याख्याता के रूप मे आमंत्रित किया जाता है। आप अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 20 / 08 / 2018 तक महाविद्यालय मे उपस्थित होवे। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नही होने की स्थिति में यह आमंत्रण स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

1. यह आमंत्रण अध्यापन व्यवस्था के तहत किया जा रहा है। यह माह **फरवरी** के अन्त तक या स्थानान्तरण अथवा नियमित सहायक प्राध्यापक के कार्यभार ग्रहण करते ही स्वमेव समाप्त हो जावेगा।
2. यह आमंत्रण उक्त व्याख्यान के लिए प्रति व्याख्यान शासन द्वारा निर्धारित राशि देय होगी। प्रति व्याख्यान 40 से 50 मिनट के बीच का होगा।
3. यह आमंत्रण भविष्य मे नियमितिकरण का आधार नही बनेगा और ना ही वे अधिमानिक बर्ताव के हकदार होंगे।
4. आप महाविद्यालय की गरिमा एवं अनुशासन को ध्यान मे रख कर कार्य सम्पन्न करेंगे एवं प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
5. एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें किसी न्यायालय में अपराधिक प्रकरण लंबित न होने, किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय संस्था में कार्यरत नही होने व एक साथ किसी दो महाविद्यालय में अध्यापन नही करने का उल्लेख हो।

Principal
Govt. Naveen College
Ramchandrapur, Dt. Balrampur (C.G.)
शासकीय महाविद्यालय रामचन्द्रपुर
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

पृ0क्र0 30 / 1 / स्था / अतिथि व्या0 / 2018 रामचन्द्रपुर, दिनांक 13 / 08 / 2018

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर छत्तीसगढ़।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय रामचन्द्रपुर
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज

Government College Sanawal * Distt.-Balrampur (C.G.) *
AISHE Code C-50270

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सनावल
जिला – बलरामपुर (छ.ग.)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर
(राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर)
जिला बलरामपुर-रा०गंज (छ०ग०)

cmobalrampur@gmail.com

क्रमांक / 1527 / एनएचएम / एचआर / 2017 बलरामपुर दिनांक 17 / 08 / 2017

:: नियुक्ति आदेश ::

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर जिला बलरामपुर-रा.गंज छ.ग. अंतर्गत नाम के आगे दर्शाए गए पदस्थापना स्थल पर पी०ए०डी०ए० (संविदा) के पद पर निम्नलिखित शर्तो के आधार पर नियुक्ति की जाती है :-

क्र.	अभ्यार्थी का नाम	पिता / पति का नाम	प्रवर्ग	चयनीत प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
1	देव कुमार प्रभाकर	श्री धुरहू राम	अजा	अजा	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भु. कोल.

:: नियुक्ति शर्त ::

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत पदों की भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ०ग० मानव संसाधन नीति 2014 के अंतर्गत होगी।
2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के कंडिका-15 की (अन्य शर्ते) लागू होगी।
3. संविदा पर राशि रु. 8,800/- (आठ हजार आठ सौ मात्र) प्रतिमाह एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
4. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित ROP अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नही होगा।
5. संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के लिये स्वीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता देय होगा। सेवानिवृत्त व्यक्ति से संविदा नियुक्ति की स्थिति में यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि सेवानिवृत्त के तत्काल पूर्व थी।
6. संविदा नियुक्ति 31 मार्च 2018 तक के लिए होगी, जो कि पूर्णतः अस्थाई होगी।
7. संविदा पर नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष मे 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश के पात्रता की गणना पूर्ण महीनो के अनुपातिक आधार पर की जावेगी। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जावेगा। संविदा नियुक्ति एक बार में 01 वर्ष के लिये ही की जा सकती है, अतः प्रसूति अवकाश की सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार 90 दिन की होगी।
8. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षो मे से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधी हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
10. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय / कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

10.1 प्रसूति उपरांत, प्रशासकीय नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी।

Government College Sanawal ★ Distt.-Balrampur (C.G.) ★ AISHE Code C-50270

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सनावल
जिला - बलरामपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

प्रथम नियुक्ति के प्रथम 18 महीने पश्चात ही प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। अनुबंध के समय

10. अभ्यर्थियों को स्वप्रमाणित निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने होंगे-

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंकसूची
- संबंधित पद हेतु निर्धारित वांछनीय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि/प्रमाण–पत्र
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण–पत्र, निवासी प्रमाण–पत्र
- कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र
- विशेष छूट हेतु प्रमाण–पत्र

11. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थाना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा, किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानों से आना–जाना अनुमत्य नहीं होगा तथा ऐसा पाये जाने पर सेवाये समाप्त की जा सकेगी।
12. अभ्यार्थी के नियुक्ति पश्चात् उनके नियुक्ति की जानकारी विभागीय वेबसाईट HRMIS में एन्ट्री किया जाना होगा। तत्पश्चात् ही उनका वेतन आहरण किया जावेगा।
13. प्रत्येक त्रैमास में कार्य प्रगति प्रतिवेदन संबंधित SPMU/DPMU/BPMU को प्रेषित करेंगे तथा संविदा नियुक्ति कर्मचारी का प्रतिवर्ष Performance Appraisal Report तैयार किया जावेगा।
14. संविदा नियुक्ति सामान्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना की स्वीकृति के अनुसार एक वर्ष लिये होगी। विभाग आवश्यकता के आधार पर कार्य का मूल्यांकन (Performance Appraisal) कर निर्धारित मापदण्डों के उपर होने पर कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन कर, नियुक्ति की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढाते हुए मिशन की अवधि से नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी। संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा सेवा स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी। इसके लिए कर्मचारी को पृथक से सूचना नही दी जावेगी।
15. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष राज्य/जिला नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा। इसका प्रतिवेदन राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
16. राज्य, जिला एवं विकासखण्ड में पदस्थापना दौरान संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को संविदा शर्तों के तहत् नियुक्तिकर्ता/नियंत्रणकर्ता के साथ पदभार ग्रहण के समय एवं प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्षानुसार) राशि 50/– के गैर न्यायिक बंध पत्र पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। संविदा नियुक्त आदेश जारी होने पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को प्रथम नियुक्ति स्थल एवं पदस्थापना उपरांत किसी अन्य स्थल/पद पर स्थानांतरण मात्र से कोई नवीन करार निष्पादित करना आवश्यक नहीं होगा।
17. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत नियुक्त संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों का नियुक्ति आदेश के साथ टी0ओ0आर0 दिया जावेगा।
18. चयनित ऐसे अभ्यार्थी, जिनका छानबीन समिति द्वारा सत्यापन नहीं कराया गया है अथवा प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा प्रक्रियाधीन है, वे एक माह के भीतर तदनुसार जाति सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही वेतन आहरण किया जा सकेगा।
19. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवा एक माह के पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यह शर्त दोनों पक्ष पर लागू होगी। संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थापना स्थल पर ही मुख्यालय बनाकर रहना होगा, अन्यथा उनकी सेवा सामप्त की जावेगी।
20. समय–समय पर विभाग/राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा दी जाने वाली सुविधायें लागू होंगे।
21. आपको नियुक्ति आदेश प्राप्ति उपरांत अपने नियुक्ति स्थल में सात कार्य दिवस के अंदर पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपकी संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

Government College Sanawal ★ Distt.-Balrampur (C.G.) ★ AISHE Code C-50270

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सनावल
जिला – बलरामपुर (छ.ग.)

22. नियुक्ति/शर्तों में शिथिलीकरण का अधिकार शासकीय निकाय, मिशन संचालक को होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बलरामपुर, जिला बलरामपुर–रा0गंज(छ0ग0)

पृ.क्रमांक / 138 /एनएचएम/एचआर/2017 बलरामपुर दिनांक 17/08/2017

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाए, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखण्ड ....वाड्रफनगर.... को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
8. सर्व संबंधित ....देव कुमार प्रभाकर.... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। निर्धारित समयावधि पर उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
9. कार्यालयीन प्रति।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बलरामपुर, जिला बलरामपुर–रा0गंज(छ0ग0)

Government College Sanawal ★ Distt.-Balrampur(C.G.) ★ AISHE Code C-50270

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सनावल
जिला – बलरामपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, सनावल
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)
(संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय,सरगुजा अम्बिकापुर छ.ग.से संबद्ध)
विशिष्ट कोड–3606 मो.नं. 7587192835,7354678030
Website: www.gcsanawal.ac.in Email ID – principalgcs7575@gmail.com

विद्यार्थीयों का प्रोग्रेशन (प्रगति)

महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र एवं छात्राएं जो इस संस्था से उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थी शासकिय/निजि क्षेत्रों में सेवाएं दे रहें हैं, तथा अधिकतकम विद्यार्थी स्वरोजगार/ व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, सनावल
जिला–बलरामपुर (छ.ग.)

Government College Sanawal ★ Distt.-Balrampur (C.G.) ★
AISHE Code C-50270

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय सनावल
जिला – बलरामपुर (छ.ग.)